

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2021 — श्रावण 6, शक 1943

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021 (श्रावण 6, 1943)

क्रमांक-7474/वि. स./विधान/2021 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) जो बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 8 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021.

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला-दुर्ग को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिग्रहण करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- | | | | |
|----------------------------|----|-----|--|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) अधिनियम, 2021 कहलायेगा। |
| | | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। |
| परिभाषाएं. | 2. | | इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - |
| | | (क) | "चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ग्राम कचांदुर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल, पंजीयन क्र. 1997 का 10-11769 द्वारा स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय; |
| | | (ख) | "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार; |
| | | (ग) | "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना; |
| | | (घ) | "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित; |

(ड) "विशेष अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 7 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी।

3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी न्यायालय के निर्णय या डिक्री, अथवा किसी संविदा या अन्य दस्तावेज या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ का प्रशासन, नियंत्रण एवं समस्त चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का कब्जा, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्र. 1997 का 10-11769 द्वारा तत्काल सरकार को सौंप दिया जायेगा।

चंदूलाल चंद्राकर
स्मृति चिकित्सा
महाविद्यालय,
कचांदुर, जिला-
दुर्ग, छत्तीसगढ़
का नियंत्रण
सरकार को सौंपा
जाना.

4. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या डिक्री, अथवा किसी संविदा या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, संलग्न अस्पताल और समस्त आस्तियों, स्वत्वों एवं हितों के साथ सरकार में निहित हो जायेगा और इसके संबंध में किसी भी व्यक्ति, जीवित अथवा न्यायिक, व्यक्ति, कंपनी, अंश धारक अथवा किसी अन्य संस्था का स्वत्व, कब्जा एवं हित समाप्त हो जायेगा।

चंदूलाल चंद्राकर
स्मृति चिकित्सा
महाविद्यालय,
कचांदुर,
जिला-दुर्ग,
छत्तीसगढ़ का
सरकार में निहित
होना.

5. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित संस्थान के संबंध में,

निहित होने का
सामान्य प्रभाव.

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या डिक्री, अथवा किसी संविदा या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वे, इस अधिनियम के प्रारंभ होते ही समाप्त माने जायेंगे।

- (2) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर ऐसी किसी कंपनी, समिति, व्यक्ति जीवित या न्यायिक, अथवा किसी संस्था का प्रशासन और प्रबंधन समाप्त माना जायेगा, जो धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व इस संस्था का प्रशासन या प्रबंधन करती थी।

राशि का
भुगतान.

6. चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग के संस्थाओं के धारा 4 के अंतर्गत सरकार को अन्तरित एवं उसमें निहित होने के प्रयोजन से, सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल, पंजीयन क्र. 1997 का 10-11769 को, धारा 8 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भुगतान योग्य राशि, प्रदाय करेगी।

राशि की गणना
हेतु विशेष
अधिकारी की
नियुक्ति.

7. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रशासन, चिकित्सा एवं वित्त के संबंध में पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति को, धारा 6 में विनिर्दिष्ट राशि निर्धारित करने के लिये, विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी।
- (2) विशेष अधिकारी की, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में, सहायता करने के लिये, सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्त कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे।
- (3) विशेष अधिकारी एवं उप-धारा (2) के अधीन

प्रतिनियुक्त अन्य अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, ऐसे होंगे, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

8. (1) धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नियुक्त विशेष अधिकारी, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित चल एवं अचल संपत्ति का मूल्यांकन करेगा। भुगतान योग्य राशि.
- (2) अधिग्रहण की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये, भुगतान योग्य राशि, उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित की गई वास्तविक मूल्यांकन राशि की दो गुनी होगी।
- (3) कोई अन्य धनराशि, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित किसी संपत्ति के लिये, किसी भी जीवित अथवा विधिक व्यक्ति को देय नहीं होगी।
9. (1) चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की समस्त संपत्तियां, सभी अधिभार से मुक्त होकर, सरकार में निहित होंगी, और निहित होने के पूर्व इसके स्वामियों पर, किसी भी जीवित अथवा विधिक व्यक्ति को किसी भी देयता के लिये, सरकार दायित्वधीन नहीं होगी। देयता के लिये सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं.
- (2) चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की सरकार में निहित होने के पूर्व की देयताएं, उसके पूर्व स्वामियों की देयतायें बनी रहेगी और विधि की सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, ऋणदाताओं द्वारा उनकी वसूली इसके पूर्व स्वामियों से की जा सकेगी।
10. (1) धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त विशेष अधिकारी, धारा 8 में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के विशेष अधिकारी द्वारा पालन की

जाने वाली
प्रक्रिया.

अवधारण के प्रयोजन से, किसी भी व्यक्ति अथवा दस्तावेज को सम्मन भेज सकेगा और विशेष अधिकारी, ऐसी अपेक्षा करता है, तो ऐसा व्यक्ति, विशेष अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना एवं उसके कब्जे के दस्तावेज अथवा सहायता करने के लिये बाध्य होगा।

- (2) यदि विशेष अधिकारी के द्वारा उसके कार्य के निष्पादन में कोई बाधा कारित किया जाता है, तो वह, संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सहायता मांग सकेगा और वह (संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट) ऐसी सहायता देने के लिये बाध्य होगा।
- (3) विशेष अधिकारी, धारा 8 में निर्दिष्ट मूल्यांकन की रिपोर्ट, सरकार को, उसकी नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि परिस्थितिवश आवश्यक हो तो सरकार, अधिसूचना द्वारा, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कालावधि, जो एक वर्ष से अधिक न हो, के लिये और बढ़ा सकेगी।

राशि के भुगतान
की रीति.

11. (1) सरकार, धारा 8 में निर्दिष्ट राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्र. 1997 का 10-11769, जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ के, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व उसके स्वामी थे, के बैंक खाते में भुगतान करेगी।
- (2) धारा 8 में निर्दिष्ट राशि का पूर्ण एवं अंतिम भुगतान, धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त विशेष

अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के 6 माह के भीतर, सरकार द्वारा कर दिया जायेगा।

12. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ नियोजन में था, चाहे वह नियमित सेवा, संविदा सेवा में रहा हो या आउटसोर्स द्वारा हो, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ या सरकार की सेवा में रहने का कोई दावा नहीं करेगा।
- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के वेतन अथवा अन्य देय राशि के भुगतान के लिये, सरकार की कोई देयता नहीं होगी।
- (3) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के पूर्व स्वामियों द्वारा, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व की गई सेवा के संबंध में देय राशि, अदत्त रहती है, तो उन्हें, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व के, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के पूर्व स्वामियों से उक्त राशि वसूली का अधिकार होगा।

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों का शासकीय सेवा पर किसी दावे का न होना.

13. इस अधिनियम के अनुसार सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये शासन अथवा धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त विशेष अधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जो विशेष अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार कार्य किया हो, के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या दाण्डिक कार्यवाही अथवा अन्य विधिक

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण.

- कार्यवाही नहीं होगी।
- अधिनियम का 14. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी अधिभावी प्रभाव. बात के होते हुए भी, अधिनियम एवं इसके प्रावधानों के अंतर्गत बनाये गये किसी नियम, जारी आदेश या अधिसूचना का अधिभावी प्रभाव होगा।
- नियम बनाने की 15. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनो को क्रियान्वित करने के शक्ति. लिये, सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।
- (2) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम, विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।
- कठिनाईयों को 16. यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में दूर करने की शक्ति. कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, ऐसे कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन से, राजपत्र में प्रकाशित करके, ऐसा आदेश कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो:
- परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष के अवसान पश्चात् नहीं किया जायेगा।

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम-कचांदुर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ में, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्र. 1997 का 10-11769 द्वारा वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था और इस चिकित्सा महाविद्यालय ने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये पहले ही राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद् की अनुमति प्राप्त कर ली है और बहुत से विद्यार्थी, पूर्व से ही चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं;

और यतः, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्र. 1997 का 10-11769, जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वामी हैं, द्वारा अपनी वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुये, राज्य शासन से चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया है;

और यतः, राज्य शासन संतुष्ट है कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ का तत्काल अधिग्रहण किया जाना लोकहित में आवश्यक है;

अतएव, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ का सभी अधिभारों से मुक्त होकर, तत्काल अधिग्रहण करने हेतु उपबंध करना, लोकहित में, आवश्यक हो गया है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,
दिनांक 24 जुलाई, 2021

टी.एस. सिंहदेव,
चिकित्सा शिक्षा मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 6, 8 एवं 11 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष लगभग रूपये 140 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ रूपये) का वित्तीय भार आयेगा।

“संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित छत्तीसगढ़ चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 के खण्ड 15 में नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजन की संस्थापनाएं हैं, जो सामान्य स्वरूप की है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा